न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–55/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मोहरपाल पुत्र सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी अलवर।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. नारायण पुत्र घासी जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

.....असल प्रतिवादी/रेस्पो0

2. गंगाधर पुत्र घासी जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
3. जगदीश पुत्र सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
4. रामप्रताप पुत्र सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
5. महेश पुत्र सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
6. छोटेलाल पुत्र सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
7. कमली पुत्री सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
8. मूली पुत्री सोन्या जाति मीणा निवासी डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

..... तरतीबी प्रतिवादी/रेस्पोडेण्टान

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी भू–स्वामी तहसील थानागाजी अलवर।
10. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा प्रतापगढ तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.....तकमीली प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री सुरेन्द्र कुमार अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री सुरेश चन्द शर्मा अभिभाषक रेस्पो0।
3. श्री चन्द्रप्रकाश कुमावत, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.11.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 का इस बाबत पेश किया कि हाल आराजी ख0 नं0 340 रकबा 3.2800 है0 बारानी प्रथम, ख0 नं 348 रकबा 0.2300 है0 चाही उत्तम, तहत चाह नं 347 खसरा नं. 349 रकबा 2.40 है0 बारानी उत्तम खसरा नं. 351 रकबा 0.8500 है0 चाही उत्तम तहत चाह नंबर 366 कुल किता 04 रकबा 6.3600 है0 बरूये खाता संख्या 21 वाके डेरा तहसील थानागाजी जिला अलवर में वादी का 1/21 हिस्सा तकसीम किये जाकर कुरेजात कायम किये। कुरेजात किये जाकर अलग से खाता कायम किये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा इस अमल का प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आराजी में 1/21 हिस्से में वादी को कार्यकाश्त में बाधा न डालें जबरन वादी को बेदखल ना करे। उपरोक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन बय मुंतकिल ना करे। वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा ना करे।प्रतिवादी संख्या 1 की तामील होने पर दिनांक 19.06.2017 को कैम्प कोर्ट बामनवास चौगान में इकबाल दावा पेश किया और प्रारंभिक डिग्री पारित कर दी। उसके बाद दिनांक 29.06.2018 को फाईनल डिग्री पारित कर कुरेजात बिना सुने व बिना तलब किये कायम कर दिये। जिस निर्णय दिनांक 29.06.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की गई ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद के दौरान दिनांक 29.06.2018 को जो कुरेजात कायम किये गये हैं वो भी अपीलांट की गैर मौजूदगी में व अपीलांट को बिना तलब किये कायम किये गये हैं जबकि वादी के दावे के अनुसार वादी का 1/21 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी गंगााधर का 1/3 हिस्सा तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 08 का अलग 6/21 हिस्सा है इसी प्रकार से कुरेजात कायम किया जाना था मगर ऐसा ना करके आराजी के दो हिस्से किये गये हैं जो मौके व कब्जे के कतई विपरीत है।जबकि वादी/अपीलांट द्वारा अपने दावे में स्पष्ट रूप से 1/21 हिस्सा तकसीम कराये जाने का निवेदन किया गया था। रेस्पो0 नारायण के हक में जो कुरेजात कायम किये गये थे उसके आधार पर वो आराजी को रहन, बय आदि के द्वारा बेचान करने पर उतारू है जबकि मौके पर आज भी आराजी पूर्व स्थिति में है। तरतीबी प्रतिवादी, वादी की हैसियत में आते हैं और उनका अलग से हक व हिस्सा होता है सबका हिस्सा मिलना चाहिये था मगर कुरेजात कायम करते समय ऐसा नही किया गया। वादी अपीलांट ने जो दावा किया था उसमें अपने हिस्से को तकसीम कराने के लिये किया था जबकि कुरेजात कायम करते समय वादी अपीलांट का 1/21 हिस्सा मिलना चाहिये था व अलग से खाता कायम किया जाना चाहिये था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शा बनाना चाहिये था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 ने जाहिर किया कि विवादित आराजी में वादी का 1/21 हिस्सा का तथा असल प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा तकमीली प्रतिवादी संख्या 2 गंगाधर का 1/3 हिस्सा तथा तकमीली प्रतिवादी संख्या तीन लगायत आठ का 6/21 हिस्सा है। विवादित आराजी वादी व असल प्रतिवादी व तकमीली

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

प्रतिवादीगण संख्या दो लगायत आठ की मुताबिक रिकार्ड मुस्तर्का खातेदारी की आराजी है तथा अविभाजित आराजी है। अपीलांट का कथन आराजी में हिस्सा होना न्याय संगत है जबकि अपीलांट व असल प्रतिवादी व तकमीली प्रतिवादी काबिज अपने–2 हिस्से पर हैं। अपीलांट को मजाहमत डालने का सवाल ही पैदा नही होता है। असल प्रतिवादी कानून में आस्था रखता है। अगर मुताबिक रिकार्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाता है जो असल प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। असल प्रतिवादी बंटवारा करवाना चाहता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया फैसला विधिसंगत है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पारित निर्णय दि0 29.06.2018 का अवलोकन किया गया । अपीलांट की अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

तहत अदालत द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट पर बिना गौर किये ही निर्णय दिनांक 29.06.2018 पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मौका व कुरेजात रिपोर्ट स्वयं पहुंच कर करना चाहिये था परन्तु पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ही तहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया है। सभी सहखातेदारों की विधिवत तामील नही कराई गई है। कुरेजात केवल नारायण के बनाये गये हैं। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के अध्याय 4 नियम 18–21 में दिये गये सिद्धान्तों की पालना नही की है।

अतः उपरोक्त आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 1955 के अध्याय 4 नियम 18–21 में दिये गये सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, कलर नक्शा ट्रेस बनवाकर, विधिवत तलबी करते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर